

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan) : Please hear me for one second. Sir, my humble submission is that if the Government made any statement in Lok Sabha, a similar statement should be made in Rajya Sabha also. We are all waiting for that. I want an assurance from the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI M. M. JACOB : The form of discussion can be decided by all of us. That is a different matter... (Interruptions)... I think tomorrow... (Interruptions)

The Infant Milk substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Bill, 1992

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to provide for the regulation of production, supply and distribution of infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods with a view to the protection and promotion of breast-feeding and ensuring the proper use of infant foods and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्रीवती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो विषय पर बोलने से पहले मैं आपके उपसभाध्यक्ष की श्रेणी में मनोनीत होने के लिए बधाई देती हूँ।

आपके उपसभाध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार मुझे आपकी सदारत में बात करने का मौका मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि बुधवार माहौल के अन्दर मैं अपनी बात कह सकूंगी। उपसभाध्यक्ष जी, अभी जो यह

बिल मानव संसाधन मंत्रालय की उपमन्त्री साहिबा ने सदन में प्रस्तुत किया है, यह बिल 1986 में इसी सदन के द्वारा पास किया जा चुका है। उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि बहुत कम बिलों का हूब ऐसा होता है कि एक बार एक सदन में पारित होने के बाद दोबारा वह फिर उसी सदन में पास होने के लिए लाया जाता है। यह एक ऐसा ही दुर्भाग्यशाली बिल है जो पिछले कई वर्षों से संसद के गलियारे के चक्कर काट रहा है। वर्ष 1986 में यह बिल राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद दो बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन दोनों बार लोकसभा विस्तर्जित हो जाने के कारण यह पारित नहीं किया जा सका और उपसभाध्यक्ष जी, जिस विषय के संबंध में यह बिल लाया गया है। वह विषय उससे भी ज्यादा पुराना है। 11 वर्ष पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता इस विषय के बारे में अपनायी गयी थी और उसके बाद 1983 में, आज से 9 वर्ष पहले, भारत ने अलग एक राष्ट्रीय संहिता अपनाकर इस विषय को मान्यता दी थी। लेकिन आज तक यह विषय कानून का रूप नहीं ले सका।

उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो बच्चों की सेहत की देखभाल करना हर कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, किन्तु जो सरकार परिवार नियोजन की बात करती है, छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा देती है, परिवार कल्याण जिस सरकार के कार्यक्रमों का एक प्रमुख कार्यक्रम हो और जो सरकार परिवार के बच्चों की संख्या तय करती हो, उस सरकार की तो केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वह अपने शिशुओं के, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। उपसभाध्यक्ष जी, ऐसे तरीके जिन्हें अस्तित्व करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

बुरा असर पड़ता हो, उन पर पाबंदी लगाना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। अपने नवजात शिशुओं को बचाना इस सरकार का कर्तव्य है और बोतल से दूध पिलाना एक ऐसा ही तरीका है जो बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसलिए अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाहन करते हुए सरकार इस विधेयक को लयी है और मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

उपसभाध्यक्ष जी, माता का दूध केवल बच्चे की सेहत की रक्षा ही नहीं करता बल्कि उसके अंदर बाकी शक्त की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी पैदा करता है और इसके विपरीत बोतल का दूध केवल बीमारी ही नहीं फैलाता बल्कि कई बार ऐसी भयंकर बीमारी फैलाता है जो कि बच्चे को मोत के मुँह तक ले जाकर खड़ाकर देती है। उपसभाध्यक्ष जी, स्तनपान के और भी कई लाभकारी आयाम हैं। केवल बच्चे की सेहत के लिए ही यह फायदेमन्द नहीं है बल्कि नंबर एक, यह दूध पिलाना सरल है। न कोई उबालने का झंझट है, गरम करने का झगड़ा नहीं। जब चाहे, जहाँ चाहें आप अपने शिशु को दूध पिला सकती हैं। इसका आर्थिक आयाम यह है कि यह बिना मोल का है। आप बिना पैसे खर्च किए अपने शिशु को सबसे ज्यादा पोष्टिक आहार दे सकती हैं। इसका वैज्ञानिक पहलू भी है और वैज्ञानिक शोध ने यह तय किया है कि बच्चे के जन्म के बाद जो पहला दूध माँ के स्तन से निकलता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। यह कोलेस्ट्रम बच्चे के अन्दर रोग प्रतिरोध की क्षमता पैदा करता है यानि बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत शिशु में पैदा करता है। पहले हमारे यहाँ यह धारणा थी कि पहला दूध बालक को नहीं पिलाया जाना चाहिए, फेंक दिया जाना चाहिए, लेकिन आज वैज्ञानिक शोध की कसौटी पर यह बात खरी छतरी है कि नहीं,

पहला दूध कोलेस्ट्रम बच्चे के स्वास्थ्य लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, फिर इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि स्तनपान बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। आप जानते हैं कि नवजात शिशु के अन्दर असुरक्षा का असास बहुत ज्यादा होता है। पलंग पर पड़े पतने में पड़ा बच्चा अग़र रो रहा हो अग़र कोई उसको उठाकर सोने से लगा तो बच्चा चुप कर जाता है। फिर माँ गोदी का तो परम सुख है। माँ की गोद की जब बात आती है तो मुझे रामवारी सि दिनकर जी की एक दो पंक्तियाँ याद आती हैं। "उर्वशी" में उन्होंने कहा है, बाँझ की बात कही है —

असफलता में नर को जननी वक्ष बाँध आता है

संघट में युवती का धैर्य-रक्षण याद आता है

उपसभाध्यक्ष महोदय, जननी वक्ष इतनी बड़ी महानता है कि जब बड़ी सफलता का मुख भी असफल होता है तो वह असफलता की वेदना माँ की गोद में सिर रखकर भूल जाता है। ऐसा माँ की गोदी बखान किया गया है। फिर बच्चे स्तनपान कराने के बाद माँ स्वयं एक सुतृप्ति का अनुभव करती है, उसका माँ भरता है, अपने व्यक्तित्व में वह आपको भरा-पूरा महसूस करने लगती है यह तो एक ऐसा पहलू है, जिसका बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। और फिर एक पहलू है संस्कार देने का। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि माँ की गोद से संस्कार आते हैं। भारत में तो वीसियों मुहावरों में माँ के दूध के साथ जुड़े हुए हैं। आप दक्षिण में अपनी भाषाओं में भी तो कहेंगे, लेकिन वही बात कही जाती होगी अपने यहाँ तो शब्द को लुनकारते हैं। यह ललकार दी जाते हैं देखें कि, तैरी ने तुझे कितना दूध पिलाया है या अपने नूते अपनी माँ का दूध पिया है वो मुँह

कराकर देख ले, आदि-आदि मुहावरे
के दूध के साथ जड़े हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बोतल
दूध का सवाल है, सबसे पहले
बोतल से दूध पिलाना बड़ा कठिन है
योंकि हर बार जब भी आपको दूध पिलाना
है, बोतल को उबालना जरूरी है और
फिर बोतल को पांच दस मिनट उबाल
रही वह डिस्टिनेक्शन नहीं होती बल्कि
इस से कम पच्चीस तीस मिनट उबालेंगे
भी बोतल डिस्टिनेक्शन होती है। एक
मास अनुपात में दूध और पानी मिलाना
जरूरी है। अब रात में नवजात शिशु को
ह सात बार भूख लगती है, हर दो घंटे
बाद वह दूध मांगता है तो आलस्य में
आई मां या तो बोतल उबाले बिना दूध दे
ती है या कभी-कभी दूध की जगह पानी
भी बोतल लगा देती है। इस तरीके से
बच्चे के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर
पड़ता है। अब तो दूध का डिब्बा भी 50/-
पर में आता है, जो एक सप्ताह से ज्यादा
ही चलता। इतना महंगा दूध गरीब लोग
नहीं पिला पाते तो वे दूध और पानी
का अनुपात बिगाड़ देते हैं यानि कम दूध
और ज्यादा पानी मिलाकर बच्चे को पिला
ते हैं, जिससे बच्चा कुपोष से ग्रस्त हो जाता
है, माल-न्यूट्रिशन की समस्या खड़ी हो
जाती है। बच्चे की सुरक्षा का तो कोई
अहसास ही नहीं है क्योंकि बोतल का दूध
पिलाने के लिए मां की गोदी की आव-
श्यकता नहीं है। आप उसको बिस्तर पर
लेटाए-लिटाए बोतल लगा दीजिए, पलने
में डाले-डाले बोतल लगा दीजिए। तो जो
एक असुरक्षा का अहसास बालक में है,
वह भावनात्मक सुरक्षा बोतल का दूध
ही दे पाता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक संस्-
कारों का सवाल है, तो संस्कार बोतल के
दूध से आएगा कहां से? यहां बैठे हैं
शास्त्री जी, उर्दू की शायरी जानते हैं,
एक बहुत अच्छा शेर है उर्दू का, कि :-

तिर्कल में बू आए क्यों मां बाप के अतवार की,
दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की।

कहां से संस्कार आएगा, जब शिक्षा
सरकारी और दूध डिब्बे का है? बच्चों
के अंदर मां-बाप के संस्कार कहां से आएंगे?
यह तो बिल्कुल एक संस्कार-विहीन
संस्कृति, एक संस्कार-विहीन संतति इस
देश में इस डिब्बे के दूध से पैदा हो रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से
कहना चाहती हूँ कि स्तनपान की संस्कृति
भारत के लिए कोई नई नहीं है। भारत में
तो कभी बोतल के दूध का प्रचलन ही
नहीं था। मैं तो यहां तक कहूंगी कि हमारे
यहां तो यह प्रथा थी कि संयुक्त परिवार
हुआ करते थे और अगर किसी नवजात
शिशु की मां भी गुजर जाया करती थी
तो उस बच्चे को बोतल का दूध पिलाने के
बजाए यह देखा जाता था कि परिवार
में अगर किसी चाची, मामी, मौसी, बुआ
को भी बच्चा छोटा है और वह अपने बालक
को दूध पिला रही है तो उसी को कह दिया
जाता था कि किंतु इस बच्चे को भी दूध
पिला, मगर बोतल का दूध नहीं पिलाया
जाता था? हमारे देश में इस संस्कृति
में कमी क्यों आई, यह देखने की जरूरत है।
सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आया,
युगीन धारणाओं में बदलाव आया और
उसी के कारण यह संस्कृति विकृत हुई
है। इसलिए आज जब हम इस विधेयक
पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो
बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन सामा-
जिक, आर्थिक कारणों की तरफ भी ध्यान
दे, जिनके कारण यह संस्कृति बिगड़ी है।
क्योंकि आज भी अगर आप गरीब वर्गों की ओर
ध्यान दें तो गरीब वर्गों में स्तनपान छोड़ने
का कारण एक सा नहीं है, समान नहीं है,
अलग-अलग कारण हैं अनेक वर्गों के।
जहां तक सम्पन्न घराने की महिलाओं की

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

बात है, आजकल एक जो नव धनाढ्य, नव-धनिकों की जो मशरूम प्रोथ हुई है, उनकी पत्नियों ने तो फैशन के चलते दूध पिलाना छोड़ दिया। एक धारणा उनके मन में बैठ गई स्तनपान से सौंदर्य नष्ट होने की, एक भ्रामक धारणा का वे शिकार हुई और स्तनपान के समय खान-पान पर लगने वाली पाबन्दी से वे दुखी हुई क्योंकि यह तो एक स्थापित तथ्य है, आप जानते हैं कि जब मां दूध पिलाती है तो उस बीच में उसके ऊपर कई प्रकार की पाबन्दियाँ होती हैं कि अगर बच्चे का पेट खराब है तो तुम हल्का खाना खाओ, तुम इधर-उधर की ज्यादा चाट पकौड़ी मत खाओ। तो इस तरह से वे सारी जो पाबन्दियाँ उस पर लगीं बच्चे की सेहत के कारण से, उसने कहा कि यह झंझट ही छोड़ और बोतल का दूध लगा। क्या जरूरत है अपने मुँह पर छीका बांधने की? तो इन तमाम पाबन्दियों के चलते इसको दक्खिनीय मानकर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मध्यम वर्ग की जो काम काजी महिला थीं, उसने फैशन के कारण नहीं छोड़ा, उसने विवशता के कारण छोड़ा, उसने मजबूरी के कारण छोड़ा और अगर मैं कहूँ कि छोड़ा नहीं, उसे छोड़ना पड़ा तो शायद ज्यादा उचित होगा क्योंकि मातृत्व की जो छुट्टी की अवधि है—मेटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) वह बहुत कम है।

डिलीवरी खत्म होने के बाद तो बहुत ही कम छुट्टी मिलती है, वह दूध पिलाए कैसे? कार्यालयों के अंदर दूध पिलाने की सुविधा मुहैया नहीं है, कोई ऐसा कमरा नहीं है कि वहाँ जाकर वह दूध पिला सके और घर का खर्चा चलाने के लिए दफ्तर जाने की मजबूरी सर पर है। तो इन तमाम चीजों ने मिलाकर उसकी समस्या को स्तन को सुखाने पर मजबूर कर दिया और एक विवशता और मजबूरी के चलते उसे दूध पिलाना छोड़ना पड़ा। अब गरीब

वर्ग की बात आई, वहाँ ये दोनों चीजे ही लागू नहीं होती। वहाँ एक तीसरी समस्या आई और वह यह आई कि गरीब की पत्नी स्वयं कुपोषण का शिकार बनी और उसके स्तन से दूध उतरा ही नहीं। गरीब की माँ को जब स्वयं खुराक नहीं तो वह दूध कहाँ से पिलाए? आप तो जानते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ को तो दो गुना भोजन की जरूरत होती है। स्वयं के लिए भी खाना और बालक के लिए भी खाना। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर स्तनपान कराने वाली महिला दूध पी ले तो ज्यादा दूध बच्चे को पिला सकती है, मगर जिसे दो जून रोटी नसीब नहीं होती, उसके लिए दूध पीना तो सपने की बात हो गई। परिवार के लोगों ने भी जो सामाजिक पुद्गेश है औरत की उसके चलते, बच्चे के डिब्बे के दूध पर तो खर्च करना स्वीकार किया, मगर उसकी माँ को गाय या भैंस का दूध देना स्वीकार नहीं किया क्योंकि बच्चे का दूध, बच्चा परिवार का है, उसको देना है, मगर यदि माँ को देना है तो वह खाय-पीया उनकी आँख में खटकता रहा। तो ये तीनों अलग-अलग कारण बने स्तनपान की प्रवृत्ति को छोड़ने के। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप इस बिल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो केवल बोतलों की बिक्री के निषेध से, केवल डिब्बे के दूध पर लगाई गई जाने वाली पाबन्दी से इस उद्देश्य का हल नहीं होगा। हमें इन कारणों पर ध्यान देना होगा और हर कारण का हल अलग होगा क्योंकि हर कारण अलग है, हर वर्ग की समस्या अलग है। तो मैं कहना चाहूँगी, यहाँ उप मंत्री जी बैठी हैं, शैलेजा जी, कि उन तमाम कारणों के निदान के लिए अलग-अलग मैं आपको सुझाव देना चाहती हूँ। सबसे पहले नव धनाढ्य धनिकों की समस्या लीजिए, जिन्होंने फैशन के चलते दूध पिलाना छोड़ा। उनके लिए

यह प्रचार-प्रसार करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि बोतल से दूध पिलाना हानिकारक है और मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। और एक बात बताऊं कि उन फैशनबलों के दिमाग में भारतीय संस्कृति से तो यूं ही दराव लगा हुआ है, उनकी अगर आप वह कहेंगे कि पश्चिमी डाक्टरों ने शोध के आधार पर यह तय किया है कि मां का दूध सबसे अच्छा है, तब उनकी आंखें खुलेंगी। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय संहिता 1981 में तय हुई थी इसी विषय पर, उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। तब उन्हें पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व के लोगों में यह तय किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, स्तनपान कराया जाना चाहिए, तब बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। और तभी उनकी यह धारणा ध्वस्त होगी कि स्तनपान से मीढ़ का नाश होता है, तब उनकी यह धारणा ध्वस्त होगी कि स्तनपान कराना दकियानुसी है, या यह तो भारत की ही पुरानी पद्धति है। इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि टी० बी० इसका सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है, दूरदर्शन इसका बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। उपसमाध्यम महोदय, आपने दूरदर्शन के कई स्पॉट देखे होंगे, परिवार नियोजन में संबंधित कई स्पॉट होते हैं, परिवार कल्याण में संबंधित कई स्पॉट होते हैं, गर्भवती महिला को क्या खुराक मिलनी चाहिए, इस पर एक बहुत अच्छा स्पॉट है, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए टीके लगवाने कितने जरूरी हैं, इस पर एक अलग ही स्पॉट है। लेकिन क्या मैं मंत्री महोदय से कुछ सकती हूँ कि एक भी स्पॉट दूरदर्शन ने आज तक, स्तनपान कराना अच्छा है और बोतल का दूध हानिकारक है, इसको लेकर के क्यों नहीं बनाया? ठीक है, काबूत पास नहीं हुआ था, मगर राष्ट्रीय संहिता तो मान ली गई थी।

3.00 पी०एम०

1983 में भारत ने अलग से राष्ट्रीय संहिता अपनाई थी इस विषय पर लेकिन 1983 से लेकर 1992 आ गया, 9 वर्षों में एक भी स्पॉट दूरदर्शन के द्वारा इस पर नहीं बनाया गया। तो मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहती हूँ कि आपने बिल की धारा 7 में कुछ उद्देश्यों का वर्णन किया है ए से एक तक, वह बहुत बड़े उद्देश्य हैं, जिनमें आपने कहा है कि स्तनपान कराने, इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए आपने कुछ उद्देश्य निमित्त किए हैं, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के दूरदर्शन ऐसे स्पॉटस बनाए जिनमें इस बात का बार-बार दिग्दर्शन हो कि मां का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, डिब्बे का दूध हानिकारक है, बोतल का दूध हानिकारक है, यह दूध नहीं पिलाया जाना चाहिए और स्तनपान को संवर्धन मिलना चाहिए तो उन फैशनबल माताओं के घर वाले इनको कहेंगे, शायद कोई पाबन्दी इन पर लगायेंगे तभी इनकी आंखें खुलेंगी। इसलिए इस मामले में ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।

जहां तक मध्यमवर्गीय महिलाओं की बात है, उनके लिए तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उसका मन करता है कि वह अपने बच्चे को दूध पिलाए, वह पिलाना चाहती है मगर उसके लिए मजबूरी है। उसके लिए आपको डिलीवरी के बख्शत मीटरनिटी लॉब की अवधि को बढ़ाने पर विचार करना होगा। आपको कार्वायों के अंदर इस तरह के स्थान खोलने होंगे जहां वह अपने मबखत सिस् को दूध पिलाकर काम पर वापस आ सके। यह जो धारणा है कि वह काम कैसे करेगी, तो एक चीज मैं आपको बताए देती हूँ। कोई भी मां जिसका बच्चा घर पर भूखा बिलख रहा है वह दफ्तर में जाने पर भी

[श्रीमती सुयमा स्वराज]

आपका काम नहीं कर पाएगी क्योंकि यह प्रकृति का सत्य है कि जब घर पर बच्चा भूख से बिलखता है तो माँ की ममता वस्त्र में बैठकर भी उछालें मारती है। वह तनावग्रस्त हो जाती है, काम नहीं कर सकती है। अगर आप यह सुविधा उसे दें देंगे कि कुछ घंटों के बाद वह अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस काम पर आ सके तो ज्यादा शांत मन से वह काम करेंगी और आपको ज्यादा काम मिलेगा। जब आप ये सुविधाएँ मुहैया करायेंगे तभी मध्यम वर्ग की महिलाओं की समस्या का समाधान हो सकेगा।

अब रही गरीबों की बात। गरीबों के लिए सरकारी स्तर पर आपको खुराक की सुविधा मुहैया कराना पड़ेगी। आपके कई महिला बाल कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं। उनमें से कुछ के जरिए खुराक देने की व्यवस्था है मगर मैं निःसंकोच कहना चाहती हूँ कि वह कार्यक्रम बहुत प्रभावी या बहुत कारगर नहीं है। गरीब महिला को इतना खाने को नहीं मिलता कि वह अपना पेट भी भर ले और अपने बच्चे का पेट भी भर ले। इसलिए दुग्धपान कराने वाली माता को सरकार की ओर से दूध मुहैया कराया जाए या पीण्टिक खुराक मुहैया कराई जाए जिससे वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस बिल का उद्देश्य बोतल की बिक्री पर पाबन्दी लगाना नहीं है। इस बिल का उद्देश्य डिब्बे के दूध पर अंकुश लगाना नहीं है। इस बिल का उद्देश्य है स्तनपान को संरक्षण और संघर्षन देना।

आप देखिए इसमें आपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एंड रीजस तो अलग से नहीं दिया लेकिन जहाँ बिल की परिभाषा की है वहीं लिखा है कि

'with a view to the protection and promotion of breast-feeding'.

जो आपका उद्देश्य है वह स्तनपान का संवर्धन करना है। अगर आप केवल डिब्बे के दूध की बिक्री पर पाबन्दी लगा देंगे, केवल बोतल की बिक्री पर पाबन्दी लगा देंगे तो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। आप क्या समझते हैं कि बोतलें बिल्कुल बननी बंद हो जाएगी या डिब्बे का दूध मिलना बंद हो जाएगा? वह तो कुछ हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए चलता रहेगा और नहीं तो वह गाय का दूध पिला देगी, भैंस का दूध पिला देगी।

हमारे इस बिल का जो उद्देश्य है वह यह है कि माँ अपना दूध पिलाए, भारत में स्तनपान की संस्कृति बहाल हो। जिन लोगों ने इस संस्कृति को अपनाया नहीं है वह इस संस्कृति को अपनाएं और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। इसकी पूर्ति केवल इस बिल से नहीं होगी। यह बिल तो निषेधात्मक है। यह बिल केवल जरिया बनेगा, माध्यम बनेगा, बोतलों को कम उपलब्ध कराने का लेकिन स्तनपान की संस्कृति को इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा।

मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो तीन तरह के वर्गों की समस्याएँ मैंने आपके सामने रखी हैं, उनके समाधान के लिए अलग-अलग सुझाव मैंने रखे हैं, इनके ऊपर जब आप काम करेंगी और इसी के साथ जब इस बिल के माध्यम से यह निषेधात्मक काम होगा तभी और केवल तभी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जिस उद्देश्य के लिए यह बिल लाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN
(Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir,
I rise to support this Bill.

Today, there is a silent emergency. It is not like the emergency which we saw this morning. It is not like the loud emergencies that engage the attention of this House and the country from time to time. It is not like the emergency which can be framed in the viewfinder of a camera. It is not drought. It is not famine. It is not floods. It is nothing dramatic. It is a silent emergency. It is the emergency of the world's children. It is an emergency in which more than 2,800,000 of the world's children are dying every year. It is an emergency in which over one million children in India alone are dying because of the reasons of infection and malnutrition that arises out of bottle-feeding. It is a silent emergency where in countries like India and Pakistan alone more children die than in the 46 nations of Africa, all put together. This is the silent emergency that will now engage the attention of the House.

It makes no moral difference that all these children did not die at one particular time, at one particular moment or at one particular place. It makes no difference at all that all these children who died, died, for no reason at all, not because of natural calamities, not because of disaster, not even because of poverty. The tragedy is that they die because of ignorance, because the world has not yet been ashamed into taking any action on their behalf. In the past it was possible to justify this. In the past it was possible to justify infant deaths by saying that it was time to wait until economic development caught up with it, but now no longer can we say such a thing. This kind of malnutrition and infections are not acceptable at all because we can no longer regard them as inevitable and accept them with a certain dumb resignation. We have got to catch up with the circumstances. We have got to catch up with the new information. We have got to see that the Government takes action, that the people, all of us, keep pace not only with the information but with the implementation of the action plan so that the children of the

world, the children of our country, do not die in vain.

Sir, it is time that this Bill brings out into the open the fact that the children of India need to be protected from the ignorance, not only of law makers but from the ignorance of the public at large. So, I support the Bill. The Bill is an attempt to widen our angle of concern, it is an attempt to make public and political opinion worldwide catch up with what the rest of the world has accepted for a long time. It is an appeal to the media to find new ways of promoting awareness of invisible emergency. It is an appeal for a new prevailing opinion which will react to needless malnutrition and disease among the children of today in the same way as all of us react to the most specific disasters of our time. This is one Bill which is based on a concept which is fundamentally simple, that breast feeding is the best for any infant. This is almost laughable in its simplicity; this is something which is fundamental to any mammal on the earth. Even an animal will normally take to it, but humans, in their perversity, have created a situation by which this has to be legislated upon. The fact of one of the fundamental and unchanging laws of life has to be legislated upon is an indication of the depth to which our cynicism and our greed has reached. This arises out of nothing but human greed and this is the extent to which the human perversity has reached and, therefore, I welcome this Bill. It is an attempt to bring into open the fact that something so simple as breast-feeding, something which is absolutely vital for the health of the children, for the health of the mothers, for the well-being of both, for the well-being of society at large is something which we have to accept and begin to implement once again, start doing once again what was only a natural law till now.

Sir, the Bill is 10 years late. I was not there when Sushmaji began, but as early as in 1981 the World Health Organisation had already accepted that there was a problem with the declining breast-feeding all over the world and they had formulated an international code to promote breast-

SMT. JAYANTHI NATARAJAN :

feeding. India accepted this in 1983. The Indian National Code was brought forth in 1983 and it is to our eternal discredit that from 1983 until today we have not been able to pass this Bill. As we all know, the Bill had already been passed once in 1986, but because the Lok Sabha was dissolved, it could not be passed here. Twice again it was brought forward and today, finally, it has seen the light of day. It is not just enough for us to pass the Bill today, with all its laudable objectives. We have to see that it is implemented, and to this end I want to focus upon two or three very vital areas before all of you today.

Sir, I have gone through the provisions of the Bill and, as I see, they are very laudable, with one or two reservations which I would like to deal with later. But the question is, most of the provisions of the Bill deal with deterrent punishments, deal with an idea of deterrence. At least 10 or 12 provisions of the Bill deal with how to prevent marketing of infant foods which might detract from the importance of breast feeding. This is, of course, laudable. But deterrence only leads to litigation. Deterrence leads to action in court, deterrence leads to its own counterproductive results. Therefore, what we need to concentrate upon today is the cold practicality of awareness.

It is far better to create an awareness among mothers, to create an awareness among society, to generate an interest, to generate opinions about how important breast feeding will be to the future of the country, to the children of the country. Therefore, the most important issue that I want to bring before this House today is that it is not enough just to pass this Bill. We have to see that there is a tremendous awareness. We are so involved in other issues. We are so involved in political issues, we are so involved in issues of the Temple or of Mandal that we fail to see that the future of this country and the future of our children are at stake. It is time that we focus upon the importance of generating information about breast feeding, targeting it to the right people, seeing that it reaches them and paying

attention to generating awareness all over the country.

Sir, the second issue—which I will come back to later on—is, we have to create social legislation to support breast feeding. Now, this Bill cannot stand in a vacuum. This Bill alone is not sufficient to create the impact that we have to create in this field where we have to see that breast feeding is encouraged positively. Social legislation is very important. All over the world, one of the reasons why breast feeding has declined is not only because of economic reasons where women find that they have to leave their homes and go out to their work places and factories but they are not able to continue with breast feeding their children in their work places or factories because there are no creches where small children can be kept. Also, the nursing breaks that are given to mothers in factories differ widely from country to country. Therefore, there is a need for us to think about a whole system of supporting social legislation by which there is support given to the breast feeding mother when we don't have to depend merely on deterrent action against multinationals or again anybody else who is trying to promote substitutes for breast feeding. This social legislation is something that has to occupy our attention. We have to think about maternity leave, we have to think about how mothers can be empowered to come out to take the initiative in feeding their children without suffering the consequences, without suffering a pay loss and without losing their jobs. Unless this is done, we will never be able to bring about a really positive movement that has any meaning.

The third aspect that I want to dwell upon is the role that the media plays. From the reports we read we find that advertising by the multinationals of infant foods and infant food substitutes, even if they are prohibited in the official media, through other media reach as much as 22 to 36 per cent of the rural population. And I am talking not just about the metropolitan cities where you take this for granted but I am talking about the rural population. If this is the kind of reach that it has among the rural population, if

this is the kind of vested interest, if this is the kind of multinational vested interest that we have to battle against to encourage breast feeding in his country, then the media has to take this up on a war footing. The media has to create a role to see that breast feeding is encouraged in the most positive way. All the laws in the world, stacked from end to end, will be of no use at all unless the media takes it as a self-regulation, as a personal responsibility, to see that breast feeding is encouraged and no form of infant food or breast feeding substitute advertisements are brought about in the media in a targeted way so that mothers are encouraged. Any mother wants to do what is best for her child, but in order to create a movement, in order that the mother would feel that there is support out here, that what she is doing is the right thing and that she will not suffer the consequences, the media has a very important role to play.

I would like to dwell on that also later.

Sir, I was just dealing with the reasons why breast-feeding has declined. The World Health Organisation survey has said that there are several reasons why breast-feeding has declined in the world. When they went through this historically, it was found that even though there were many arguments advanced in favour of breast-feeding, artificial feeding from an early stage represents something like an experiment without controls. The main thing that happens is that when a child is not breast-fed, it creates all kinds of complications at a later stage, something like hypertension, obesity, allergy to non-specific proteins. Also, artificial feeding from an early stage could not guarantee skin-to-skin contact between the mother and the child. Nor does it help to create a bond between them. Sir, it also became strikingly evident, and I am quoting here, that even the most sophisticated and carefully replicated formulas could never replicate human milk. Then also if animal milk is provided to the child, the difference between species creates specific differences in the protein composition, by which it becomes evident that human milk has disinfectant properties which are not avail-

able in animal milk which is not specific to the child, and the child also suffers thereby.

Sir, the most important reason why again breast-feeding has to be emphasised is because that also encourages—and in a country like India this becomes absolutely vital birth-control. It is the most effective form of contraception. They say that almost 75% of the mothers who are breast-feeding their children, do not conceive immediately, and it is the best and the most natural form of child-spacing that can occur. The importance of such a concept cannot be under-estimated in a country like India.

Sir, I have already dealt with the issue of social legislation. Apart from that, when you come to the question of awareness it is absolutely vital that certain steps are taken. It is not just the legislation which can have the maximum impact on creating a positive movement like this. But there has to be a kind of political will and public attitude which will secure genuine impetus for the movement.

Sir, every citizen has a right to information, and this information has to be adapted to local conditions. It has to be directed to the target population, that is, particularly school children, young mothers, pregnant women and decision-makers. It has to be supported by necessary resources from doctors responsible for semi-urban and rural health development. You have to utilise the local, cultural methods of communication. It has to be linked to measures for income generation at the family and at the community level.

Sir, to support breast-feeding, it is important that this information should reach individuals who are important to the family, not just the mother, but also the father, the grandfathers, the mother figures, the mother surrogates, the community teachers and others who have an impact on the social behaviour, and their participation also has to be obtained.

Sir, the Government also should provide adequate nutrition training in medical and

[SMT. JAYANTHI NATARAJAN]

nursery schools and to primary health workers including midwives, school teachers, rural extension workers and others operating at the community level to enable them to undertake functional health and nutritional education of the community. These personnel also have to be adequately trained not only in the techniques of education and communication but also those of child development and delivering consistent and coherent health practices based on local socio-cultural conditions.

Sir, one important lacuna in the Bill is that it does not deal with weaning foods. All the laudable sections deal with deterrence against advertising and disseminating information about infant foods. There is no specific reference to weaning foods. We know that weaning foods are in great use not only in the urban areas but also in the rural areas all over the country because they are very convenient, and it is much easier to use them than to get hold of indigenous food or food which is really good for the child, which is not expensive. This lacuna in the Bill, I suggest that the Minister should address herself to, and it has to be at least covered in the rules because unless it is applied to weaning foods also, it has very little meaning. Weaning foods also can be diluted, and the child is still open to infection at that stage also. Therefore, the fact that weaning foods have been left out of the Bill, is something that has to be dealt with in the rules at least. The time has come to eliminate unnecessary deaths and ill-health of our children along with slavery or racism or Apartheid, along with disasters, along with cyclones, along with droughts or along with famines. Just because these children do not have a voice to speak out, they don't have to be ignored. We have to view this seriously. The real test lies not just in legislations, but in seeing how we are able to propagate the ideas so that these effectively reach down to every single mother in the country, who needs these.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमबंगाल) :

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो यह शिशु दुग्ध अनुकूल्य पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) विधेयक, 1992 लाया गया है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय,

यह विधेयक एक माँ और एक बच्चे के नैसर्गिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, यह विधेयक एक माँ और बच्चे के जन्म सिद्ध अधिकार से जुड़ा हुआ है, यह विधेयक हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए इस समस्या को एक अहम समस्या और आपात समस्या समझते हुए मैं अपने देश के भविष्य, उन माँ-बच्चों को भाषा देना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा है। एक माँ के नाते उन बच्चों की ओर से मैं इस सदन में यह आवाज उठाना चाहती हूँ ताकि अब तक हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय होता रहा, अब तक हमारे बच्चों को उनके जिस जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित किया जाता रहा है, अब यह अन्याय बंद हो। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भी हम शिशु दुग्ध संबंधी समस्या पर विचार करते हैं तो हमारे सामने एक झटके में उस उपभोक्ता समाज का कुत्सित चेहरा सामने आ जाता है, जिसको बनाने में यह सरकार लगी हुई है। यह उपभोक्ता समाज विज्ञापनों का समाज है। बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा येनकेन प्रकारेण मुनाफा लूटने का समाज है। आज से 15-20 वर्ष पहले की स्मृतियाँ हमारे दिमाग में ताजा हैं। हमें पता है कि 15-20 वर्ष पहले हमारे हिन्दुस्तान के बाजार बड़ी-बड़ी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बनाये गये पाउडर दूध के डिब्बों से भर गये थे, और उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पाउडर दूध के प्रचार में, इस पाउडर दूध के पक्ष में जैसा प्रचार अभियान शुरू हुआ, उस प्रचार अभियान के चलते हमारी माँओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया। इस प्रचार तंत्र की ही माया थी कि यहाँ तक कि हमारे डाक्टर भी इस पाउडर दूध के पक्ष में नुस्खे लिखने लगे। उपसभाध्यक्ष जी, इसका नतीजा यह हुआ कि इस मुनाफे की हवा से इन पाउडर दूध का जो बाजार गर्म हुआ, इसके चलते हमारे बच्चों, हमारी माँओं को कई व्याधियों से, कई त्रासदियों से गुजरना पड़ा। जब तक

हम उपभोक्ता समाज का सृजन करते रहेंगे तब तक न जाने कितनी इस तरह की लास-दियों को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें याद है कि इस उपभोक्ता समाज के पक्ष में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने विज्ञापन का जो मायाजाल बनना शुरू किया था, उस मायाजाल के चलते पाउडर दूध के डिब्बे राशन की तरह लाइन लगाकर बिकने लगे थे। लेकिन बहुत जल्दी ही पश्चिमी जगत में इस पाउडर दूध के विरोध में एक प्रचार-तंत्र खड़ा हुआ और उसके द्वारा पाउडर दूध के नकारात्मक पक्षों के बारे में हमें जानकारी मिली।

उसी के चलते 1981 में विश्व स्वास्थ्य संस्था ने एक अन्तर्राष्ट्रीय शिशु खाद्य संहिता तैयार की। हमारे देश में भी 1983 में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संहिता तैयार की गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि सो दिन चले अढ़ाई कोस की हमारी सरकारी नीतियों की वजह से आज तक हम अपनी उस राष्ट्रीय संहिता पर अमल नहीं कर पाए। इस अहम समस्या की ओर हम इतना बड़ा गुनाह करते रहे। इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान न देकर हमारी सरकार ने हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के भविष्य के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध का कार्य किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि किस तरह माँ का दूध पिलाने से हमारे जैसे विकास-शील देशों में हमारे बहुत से बच्चे उन अनेकानेक बीमारियों से बच सकते हैं, जो माँ का दूध न पिलाने की वजह से होती है। एक अगस्त को सारे विश्व में स्तनपान दिवस का पालन किया जाता है इसी वर्ष हमारे यहाँ दिल्ली में भी इसी दिन एक सेमिनार हुआ था। विभिन्न चिकित्सकों,

समाज-शास्त्रियों ने अध्ययन करके यह बताया कि हमारे देश में अगर माँ के दूध का प्रचलन किया जाए तो उनके द्वारा दिये गये आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में डायरिया से मरने वाले उन बच्चों की संख्या 14 गुना बढ़ जाती है अगर वह बोतल का दूध पीते हैं। इसी तरह से निमोनिया से मरने वाले बच्चों की संख्या चार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी सेमिनार में यह निष्कर्ष उभर कर आया कि अगर माँ ही अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो हर वर्ष एक करोड़ बच्चे बोतल का दूध पीने के कारण जो हिंदुस्तान में विभिन्न बीमारियों का शिकार होते हैं उनको उन बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो जाहिर है कि आज फिर नये सिरे से स्तनपान के पक्ष में एक अभियान शुरू हुआ है। एक ओर जहाँ स्तनपान के पक्ष में अभियान शुरू हुआ है और शहरों में उसके पक्ष में एक चेतना भी आई है लेकिन दुर्भाग्य से आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने गाँवों के बाजारों पर कब्जा जमा लिया है। आज पाउडर के दूध के डिब्बे गाँवों के बाजारों में छाए हुए हैं। आज गाँवों की माताओं की सूचनाओं के अभाव की मजबूरियों का लाभ उठा कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वहाँ प्रचार कर रही हैं। हर माँ का यह सामान्य मनोविज्ञान होता है कि वह अपने बच्चे का अपना सर्वात्म देना चाहती है। अपनी जिन्दगी में जो कुछ है आखिरी हिस्से तक अपने बच्चे को देने के लिए तैयार होती है। इसी मनोविज्ञान का फायदा उठा कर इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने माताओं के साथ, उनके बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। उन्हें बीमारियाँ बेचती रहीं, विकृतियाँ बेचती रहीं और हमारी सरकार 11 वर्षों तक चुपचाप तमाशबीन की तरह सिर्फ तमाशा देखती रही। इतना बड़ा अपराध हमने किया है। जिस मोन की जरूरत की और जिस साइडेंट हमरजैसी की बात वहाँ की गई उस साइडेंट हमरजैसी की

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

मैं आज हमारे करोड़ों बच्चों की तरफ से शब्द देना चाहती हूँ, ध्वनि देना चाहती हूँ कि यह अन्याय हमारे बच्चों के साथ और न हो। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि स्तनपान के पक्ष में आज अब सारी दुनियाँ में एक व्यापक शोध कार्य हो चुका है और यह जग जाहिर हो चुका है कि स्तनपान किसी भी बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और स्तनपान सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अहम जरूरत है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय इस विधेयक में मैंने यह संशोधन भी रखे हैं। आप चाहें तो मैं संशोधन भी रख दूँ।

Should I place my amendment before the House just now or later on ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Your amendment will be taken up at the time of the clause-by-clause consideration of the Bill. Now, you can continue to speak on the Bill.

श्रीमति सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह संशोधन पेश किये हैं। इसी जरूरत को रेखांकित करते हुए मैंने इस विधेयक में कुछ संशोधन भी पेश किये हैं।

यह जरूरी है कि आज हमारे गांवों में जहाँ हमारी आंगनवाड़ियाँ काम कर रही हैं सरकार की ओर से और जिन आंगनवाड़ियों का यह प्रथम दायित्व है उनका कर्तव्य है कि वे जच्चा-बच्चा के लिए किस तरह का खाद्य उत्तम है किस तरह के खाद्य की उनको आवश्यकता है यह देखें। इसलिए मैं यह बात को कहना चाहती हूँ कि यह सरकार की ओर से पहलकदमी होनी चाहिए कि जितने भी आंगनवाड़ी केन्द्र हमारे देश में आज काम कर रहे हैं उन आंगनवाड़ी केन्द्रों में ऐसे पोस्टर लगाये जाने चाहिए इस बात की अहमियत को बताते

हुए कि बच्चों के लिए स्तनपान ही सबसे जरूरी है। इस तरह के शिक्षा मूलक पोस्टर लगाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं आंगनवाड़ियों को तमाम इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे माँ को इस बात से अवगत करा सकें कि स्तनपान के क्या-क्या फायदे हैं।

इसके साथ ही उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को विशेष जोर के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार को हमारी महिलाओं की समस्याओं को विभिन्न रूपों में सम्भालना चाहिए। कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ हैं। हमारे यहाँ प्रसुति अवकाश जितना दिया जाता है उसकी समय सीमा बहुत ही कम है। जितनी कामकाजी महिलाएँ हैं उनका 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्रों में काम करता है जहाँ पर क्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर न्यूनतम श्रमिक कानूनों तक का पालन नहीं होता है। ऐसे में सरकार स्तनपान का संवर्धन करने स्तनपान को बढ़ावा देने का काम किस तरह कर सकती है। इस लिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह विधेयक जो नेक उद्देश्यों के तहत लाया गया है क्या हमारे समाज की जरूरतों को पूरा कर सकेगा? आप इसे सोशल लेजिस्लेशन कह सकते हैं लेकिन सिर्फ इसे सोशल लेजिस्लेशन या सामाजिक कानून कहकर अपनी जिम्मेदारी से आप परे नहीं हो सकते। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश के भविष्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और जब हम इस संसद में बैठे हुए हैं तो इस संसद का सदस्य होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि हमारी सरकार इस बात की जरूरत को अच्छी तरह समझे कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी महिलाओं की समस्याओं को सिर्फ ऊपरी तौर पर न समझे और सिर्फ इसलिए

किं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके पक्ष में काम हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता तैयार की गयी है, भारत भी उससे अंगीकार-बद्ध है इसलिए भारत को भी ऐसा कानून बनाने की जरूरत है सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि वास्तव में इस बात की जरूरत को समझते हुए इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

इसी के साथ उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि यह जो विधेयक लाया गया है यह निस्संदेह बहुत पहले आना चाहिए था । लेकिन बाद में आने के बावजूद भी अभी जो इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, जो संशोधन करने रखे हैं मैं चाहूँगी कि उस पर विचार करें । मैं उस पर बाद में बोलूँगी ।

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको इस गरिमा-मय स्थान पर पाकर मैं आपको हार्दिक और पुनः मैं आभार प्रकट करता हूँ बधाई देता हूँ कि आपने मुझे शिशु दुग्ध अनुकूल पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) विधेयक, 1992 पर अपने मत प्रकट करने के लिए अवसर दिया है । यह जो हमारे सामने प्रस्तुत आया है इसकी एक भूमिका थी जिसमें मुझे स्मरण होता है 1 वर्ष पहले की एक बात की और । जब हमारी पूर्व प्रधान मंत्री और नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जेनेवा में जाकर विश्व स्वास्थ्य सभा में उस समय माँ के दूध के विकल्प के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे और उसको भारत लाई थी । विकल्प का यह मतलब नहीं है कि माँ का स्तनपान न कराया जाए । उसका यह मतलब था कि जो माँ माँतएँ रुक हो जाती हैं, जो स्वस्थ नहीं रहती हैं, उनके शिशुओं का पोषण किस तरह से हो, इस तरह विश्व सभा में यह प्रस्ताव लाया गया था और उस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हस्ताक्षर किये

थे और जिनकी मातायें नहीं रहती हैं, उन शिशुओं को भी दुग्ध के विकल्प के लिए, माँ के दूध के विकल्प के लिए आहार रूप में कुछ पाना चाहिए । यह सभी सामान्य बच्चों की भी बात है, जिनके माँ-बाप नहीं रहते हैं । यह आज कल की बात नहीं है ।

मुझे भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी याद आती है, जिसमें उनकी माँ का उनके जन्म के समय ही निधन हो गया था — माया देवी का — और उनको उनकी मौसी ने स्तनपान कराया था और उधर राम, जिसके विषय में आज यह सदन बहुत चर्चित रहा और यह देश चर्चा से भरा हुआ है, उनके लिए राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा था कि मझली माँ का स्वप्न देख कर जागा । राम जब रात में सोते थे, तो जग जाते थे, जिनको कँकेई जब स्तनपान कराती थी, तब वह चुप हो जाते थे ।

श्री कृष्ण ने कहा है अपनी माँ से की "मैइया तूने मोहो नहीं पियाओ" ।

इसको सूरदास ने भी लिखा है । इसके पहले की भी परम्परा भारत की रही है, जिसमें वैदिक काल से भी मैं जानता हूँ कि दूध स्तनपान की परम्परा इस देश में रही है, जैसे —

सरस्वतिभिः तो नेषि वस्थो, माध स्फुरीः
न आधक ।

युषस्व न सख्या वेण्या, च मा त्वत्सौ
लाण्य रणा निगन्म ॥

ऋग्वेद 6/61/14

इसका यह अर्थ था —ऋग वेद में ऋषियों ने कहा था सरस्वती को संबोधित करके कि मुझे ज्ञान का वह दुग्ध पान कराइये आप, जिससे मैं किसी ऐसे क्षेत्र में न जाऊँ, जिसमें मुझे नाशवान होना पड़े, अर्थात् अमरत्व के लिए आप मुझे अपने ज्ञान का दूध पिलाइये ।

[श्री शिवप्रताप मिश्र]

तो दुग्धपान की परम्परा ऋग वेद में थी।

इसके बाद इसका एक प्राकृतिक पक्ष भी था कि जैसे हमारे प्राकृतिक पक्ष में दुग्ध-पान को लेकर और दुग्ध और शिशु का इतना महत्व था कि भारत में क्षीरसागर का शब्द सुनते हैं आप, हमारे पुरानों में भी भरा हुआ है कि जो सागर है, वह दुग्ध से भरा हुआ है।

चित्तकूट में भी पैयश्विनी नदी है जिसमें दूध बहता है और इसमें प्राकृतिक पक्ष में मैं देखता हूँ कि सारे पशु भी अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इसका भी वर्णन है कि —

आहार निद्रा भय मेषु च सामान्यमेतत्
 पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मेण हीना
 पशुभिः समाना ॥

जो आहार की प्रक्रिया है, सोने की प्रक्रिया है, और प्रजनन की प्रक्रिया है, वह मनुष्य में पशुओं में, पक्षियों में सब समान है। इसमें जो धर्म है — “धारयति इति धर्मः”। जो आकार संघ का है, मनुष्य को उनसे वही अलग करता है। तो पशु भी अपने शिशु को दूध पिलाते हैं और तभी इस प्रक्रिया को आप देखते हैं कि माताओं के स्तनपान की प्रक्रिया आज से नहीं, भारत में शुरू से है।

मैं एक दिन मार्क्सवाद और राम राज्य पढ़ रहा था। उसको स्वामी करपादी जी ने लिखा था। तो उसमें दिया था कि जब सुकरात को फांसी लगाई गई और मृत्यु के समय वह खड़ा था, तो उससे वहाँ का जो अधिवारी था, उसने पूछा कि क्या आपसे सरीखे तत्व जानी को, जितने संसार के सुख हैं, जैसे खान-पान के, वह मृत्यु से पहले याद करने चाहिए।

उसने कहा, नहीं।

उसने कहा क्या शैशवकाल में जो मां का स्तनपान आपने किया है, उसे याद करना

चाहिए? उसने कहा कि अवश्य, क्योंकि वह बहुत स्नेहिल और मधुर था।

फिर तीसरा प्रश्न किया कि क्या स्त्री संग काम को भी याद करना चाहिए।

उसने कहा कि इसे कतई नहीं याद करना चाहिए। इससे मुझे मालूम होता है कि भारतीय परम्परा यूनान में भी पहुँच गई थी। जो हमारे यहाँ भी कहा है कि,

“काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समुद्रवः
 तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् ।

तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि काम, क्रोध और मोह, लोभ को त्याग दीजिए। इस-लिए सुकरात ने भी उस समय कहा कि इनका त्याग करना चाहिए। लेकिन माता का शैशवकाल का स्तन-पान है वह बहुत स्नेहिल और मधुर था। उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो आज की यहाँ की परम्परा नहीं है, भारत की तो थी ही, यहाँ से और भी देशों में गई थी और इसको संसार का कोई भी प्राणी कोई भी जीव जैसे मैंने बताया स्तनपान की प्रक्रिया इस शिशु-पोषण का एक मुख्य अंग थी, एक मुख्य प्रक्रिया थी। जिससे शिशु अंगे बढ़ता था और इस प्रक्रिया से भी शिशु का पालन-पोषण होता था जिससे हमारा समाज माताओं को बहुत ज्यादा सम्मान देता था। बल्कि पिता के नाम से अधिक हर जगह आप देखेंगे कि माता के नाम से संबोधन होता था। सब से बड़ा ग्रंथ हमारे दर्शन शास्त्र का “गीता” है। जिसमें हर जगह आप देखेंगे जो भी उपदेश श्रीकृष्ण ने कहा है उसमें कौतिय कहा है कि, हे कुंती-नन्दन, कुंती के पुत्र और पांडु नन्दन भी कहा है। लेकिन इसके साथ-साथ “कौतिय” शब्द जो कहा है उसका आप यह जान सकते हैं कि माताओं का कितना महत्व था। माताओं से ही पोषण होता था और इसलिए भीष्म को “गान्गेय” कहा जाता था और गंगा-नन्दन कहा जाता था। तो यह हमारी परम्परा जो थी स्तनपान व दुग्धपान की, वह दुग्धपान इस समय गांवों में तो आज भी

में जाता हूँ तो विवाहों में स्त्रियाँ गीत गाती हैं कि मेरे दूध की लाज रखना। तो माता के दूध का कोई विकल्प वास्तव में नहीं है। परन्तु जो इसका विकल्प का सोचा गया उसका यह मतलब था कि जब माताएं नहीं हैं, जब माताएं रुग्ण हैं और उनका रोग-निवारण किया जाए, तब ऐसे उनको पीष्टिक आहार दूसरे विकल्प दूध से मिले यह तो कहा जा सकता है, जैसे अभी सरला जी ने कहा कि जो माता के और शिशु के संबंध की स्नेहिल प्रक्रिया थी उसको व्यवसायियों ने अपने हथकंडों से गंवा दिया। वह दूसरे प्रकार का दूध, उसका प्रचार और प्रसार करने लगे, इससे उसके प्रचार प्रसार की बाधा को आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह भी एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया कि जो स्वास्थ्यवर्द्धक चीज नहीं है। माता दूध, अगर वह रुग्ण है तो उससे बच्चे शिशु का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो उसमें विकल्प हो। परन्तु वह विज्ञापन देंगे कि यह स्तनपान की प्रक्रिया ही छूट जाए उस पर जो प्रावधान लाया गया है कि उस तरह के करने वालों को तीन वर्ष की सजा दी जा सकती है और पांच हजार रुपये उनको जुर्माना किया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है, मैं इन दोनों का समर्थन करता हूँ। अब यह भी समर्थन करता हूँ कि स्तनपान की जो हमारी प्रक्रिया थी, जो संसार के लोग पहली अगस्त स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं और जिसको और भी तमाम सामाजिक संस्थाएं आज भी प्रोत्साहित करती रहती हैं जिन प्रोत्साहन से न तो हृदय रोग हो सकता है, न डाइरिया हो सकती है, न कैंसर हो सकता है, न माता को और न शिशु को, तो इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जीवित रखना आवश्यक है और इसको हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित करना चाहिए। शैशवकाल से लेकर विश्वविद्यालय तक इसका एक प्रशिक्षण होता रहे, इसका भी मैं अनुयायी हूँ और इसका भी समर्थन करता हूँ इस विधेयक

को जैसे पास किया जाए कि कैसे इसका रूपायन हो रहा है इसकी एक शिक्षा समिति भी बनाई जाए जिससे इसके रूपायन होने से कोई व्यवधान न आए। इसका समर्थन करने के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Sir, I rise to support this Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Bill, 1992. As my previous speaker, Shrimati Sushma Swaraj, has said, it is for the second time that this Bill is coming before this House. Previously this Bill was passed in this House but it could not be passed in the other House. But I am surprised why it could not be passed. Whatever may be the reasons.. (*Interruptions*)..

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Because Lok Sabha got dissolved both the times. This time they have got it passed by the Lok Sabha first.

SHRIMATI MIRA DAS : This is a long awaited Bill and it was about to be passed by the Parliament but could not be done because of certain reasons. As already mentioned, I am thankful to the Minister for officially bringing the Bill for discussion and getting it passed by both the Houses of Parliament. I personally want that this Bill should be passed and implemented with immediate effect otherwise, I apprehend some powerful lobby may stop the implementation. It may create problems again. It is very very important because the Bill deals with mother and child of this country. Breast feeding is our culture, we have not imported it from anywhere. This is our culture and we are proud of our national heritage and national tradition. In 1981, India as one of the signatories to the International Baby Food forum in the World Health Organisation of the UNO accepted and adopted the policy of promotion and protection of breast feeding. As I earlier mentioned, India may be one of the signatories, but it is our tradition and we have accepted it as good. But it took nine long years to get it passed by the Parliament. No human being can deny the sacrifice, love

[SMT. MIRA DAS]

and selflessness of a mother towards her child. It will not be out of place if I say a sloka

"कुतश्च जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति"

This means a child can be bad but a mother cannot be a bad mother. The amount of satisfaction a mother derives while feeding a child, the magnitude of satisfaction a child gets while getting the mother's milk, only a mother can say and nobody else can say it. It has to be realised. It cannot be told in words. It is our culture and we are proud of our national tradition. We know that mother's milk is the best food available to the child. It protects the child not only from diseases but it also creates natural immunity. According to the UNO estimates every year more than one million children die because of diseases caused by feeding bottles. Imagine the magnitude of the problem created by feeding bottles in a country like India which is a developing country. Most of the mothers here do not know how to use a feeding bottle. They do not know the procedure of making tinned milk. This is the reason why so many children die every year. As I said earlier, breast-feeding is our tradition and culture. Now a days, modern mothers are more interested in breast-feeding. I don't agree with what the hon. Members said that the mothers are not interested because of certain reasons which I don't want to repeat here. They are swayed by the advertisements and they are sometimes pressurised by some companies. Some doctors also seem to have prescribed the use of the tinned milk and milk other than the mother's milk. But the doctors have now realised the importance of mother's milk and they educate the mothers and press for breast-feeding right from the first day of the child's birth. Sir, I don't want to ask for any amendment and I want that this Bill should be passed. It should be passed with immediate effect because I know how the feeding bottles and the milk foods available in the market create problems for our children and our family. But I want to insist that the implementation should be monitored properly. As my colleagues said, a committee should be formed before executing this Bill. The committee should consist of members who

have expert knowledge. I am sure that the Bill will have a real impact and I want that this should be implemented as early as possible. My last point is, I request the Minister to look into the monitoring aspect also. Monitoring is the most important part of this Bill. I apprehend that there will be some problem in the proper monitoring of the Bill because the persons who monitor the functioning of any Bill are not properly educated and properly guided. So the Minister and the officers incharge of this Department should personally see to it that the Bill is properly implemented. With these words, I support the Bill. Thank you.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JIOHKAR (Maharashtra) : Respected Vice-Chairman, Sir, I welcome all the provisions of this Bill and I will not take the time of this House by repeating about the great importance of breast-feeding. I agree with almost all the points which have been made by the hon. Members. But I would like to point out that Clause 7 of this Bill seems to be very much ill-drafted and I do not know whether the Government has realised the import of the provisions of Clause 7 of this Bill. Clause 7 of this Bill says that every educational or other material, whether audio or visual, dealing with pre-natal or post-natal care, shall consist of the following information. It is mandatory. This is a very absurd type of provision. Imagine someone, a doctor like me, doing research and writing something about cancer related to breast—dealing with prenatal or postnatal period of the disease. Now, it is mandatory for me, a research scholar doing this sort of research work, that even in the research article, I will have to write about the benefits, superiority of breast-feeding and preparation for and continuance of breast-feeding because of this provision. This is very absurd.

Secondly even if the Government wants that such books, such publications which are dealing with these things should contain all these things, there is a very big loophole which is in the Bill itself. They say "intended"—the word "and" is there—"intended to reach pregnant women". Now I may write a book which I am intending to be read by pregnant women. In the book I do not deal with anything which is written here and near the copyright

citation or somewhere, I will write that this book is not intended to be read by pregnant women. Now I will be saved from this provision of this Bill. Even if the Government wants the provisions of Section 7 to be implemented, it is very difficult to implement them.

Sir, as far as my little knowledge of law goes, this clause is going to be violative of the Fundamental Rights, the right to speech, because this will not amount to 'reasonable restrictions' on the Fundamental Rights. This clause is going to be violative of the Copyright Act and this clause is also going to be violative of the rights of intellectual property. Therefore, I do not know what the hon. Deputy Minister may like to say as to why this clause is put here. Even if they have justification for this clause having been put here, I do not know how these absurdities, particularly dealing with research going on in the medical field, can be removed.

There are tens of research journals and many research journals directly deal with prenatal and postnatal care. These are all educational journals. Even if some little article relating to breast-feeding or something relating to mother's milk etc. is to be written. It would be mandatory for those people to write all these things in the article because of this clause in spite of the fact that it would not be within the scope of that particular research project like dealing with cancer. Even if somebody wants to write about breast cancer which has developed during prenatal or postnatal period, he would be covered by this clause and he will have to write all these things about breast-feeding. I do not think this clause would stand the test of a good law and I would like to warn the Government that this clause will be struck down by the Courts.

Thank you.

श्री अन्नत राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उप सभापति महोदय, जिस बिल पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसके बारे में मैं शुरू में ही कह दूँ कि यह भारत की सम्पूर्ण महिलाओं के लिए नहीं है और न सारे बच्चों के लिए है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं

जो गांवों में रहती हैं, गरीब हैं वे, तो अपने बच्चों को स्तनपान कराती ही हैं। इसलिए उन महिलाओं का या बच्चों का इस बिल से कुछ लेना देना नहीं होगा इस बिल का फायदा मिलेगा उन माताओं को जो मां के बजाए मम्मी बन गई हैं। कुछ बड़े घराने जो हाल में, आजादी के बाद सम्पन्न हुए और जिनमें यह कुप्रचार चलाया गया, यह जो दूध के सब्सटीट्यूट हैं उनको बनाने वाली कम्पनियों द्वारा प्रचार चलाया गया कि मां का स्तनपान मां के स्वास्थ्यके लिए हितकर नहीं है और न ही बच्चों को उससे पूरी खुराक ही मिल पाती है। तो इसका फायदा अगर मिलेगा तो सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जो बड़े घरों की हैं और जिन्होंने स्तनपान न कराना एक फ्रेशन बना लिया है तथा जो समाज में दिखावे के लिए अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं और उनसे दूर रहती हैं। इसके बुरे नतीजे निकले हैं, खुद उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी। इस जगह मैं एक बात आपको बतला दूँ एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, कुछ समय पहले। उनका एक बच्चा बाहर स्कूल में पढ़ता था अच्छा स्कूल था। लेकिन उन्होंने उसको बोडिंग हाउस में नहीं रखा था, बल्कि रोज-रोज वह स्कूल जाता था और रोज-रोज उनके पास वापस आ जाता था। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा क्यों करते हो? इससे अच्छा तो इसे बोडिंग हाउस में रख देते। तो उनका जवाब था कि अगर इसको बोडिंग हाउस में रख दिया जाएगा तो यह 'हैली-डैडी' वाला हो कर रह जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो जो बच्चे अपनी मां के दूध से वंचित रहे हैं तो वे अपने मां-बाप के संस्कार पाने से वंचित रह गए हैं।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

माँ का दूध न मिलने से हमारे समाज में इस संबंध में कई अंध-विश्वास भी चलाए गए हैं। जैसे पहले यह था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बकरी का ही दूध दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में देखने में यह आया और मेडिकल साइंस ने यह साबित किया कि बच्चा पैदा होते ही उस को माँ का ही दूध दिया जाना चाहिए, जो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। लेकिन यह धारणा अभी तक चली आ रही है और उसका निराकरण करने का कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया है। इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। यह तो कुदरत की एक नियामत है कि माँ गर्भ धारण करती है और उसी के साथ-साथ उसमें शारीरिक विकास होता है तथा बच्चे के जन्म के बाद छाती में आप से आप दूध आ जाता है। छाती से दूध पिलाने से माँ को एक नैसर्गिक आनन्द भी मिलता है। जो माताएं ऐसा नहीं करती वे उस आनन्द से वंचित हो जाती हैं तथा उनको तकलीफ भी होती है किनका दूध नहीं निकलता है और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

देर से लाए गए इस बिल का, लेकिन फिर भी चाहे समाज के छोटे तबके की भलाई ही का काम क्यों न हो, वह स्वागत योग्य होता है। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। और माननीय उप सत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बिल को इस सदन में विचार और पारण के लिए प्रस्तुत किया है।

मैं एक चीज यहाँ पर और कह दूँ, जिसका प्रचार अभी नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंस की यह मान्यता है कि जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनको डिहाईड्रेशन की बीमारी कम होती है और जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उनमें यह बीमारी कई गुना होती है और लाखों बच्चे इससे हर साल मर जाते हैं। लेकिन न तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से और न स्वास्थ्य विभाग की तरफ

से कोई प्रभावी प्रयास किया गया है कि यह जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए। तो इसको जन-जन में पहुंचाने की जरूरत है केवल बिल लाने से ही काम नहीं चलता, बल्कि अपने प्रचार माध्यमों से इसका खूब कसकर प्रचार कराया जाए। हमारा ख्याल है कि जिनके फायदे के लिए यह बिल लाया गया है, उन सबके पास टेलीविजन सैट हैं, रेडियो हैं। इसके माध्यम से उन तक इसका प्रचार खूब जोर-शोर से जाना चाहिए कि स्तनपान के फायदे क्या हैं।

दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्तनपान के संवर्धन और फरोग के साथ-साथ इस बिल में जो दूध के अनुकल्प हैं उनका बनाया जाना, पैदा किया जाना उत्पादन या उनकी सप्लाय या बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि कुछ शर्तों के साथ वह सब चलते रहेंगे। अगर वह शर्तें टूटती हैं तो आपने उन आफेंसेज को कगनि-जेबिल बना दिया, जो ठीक किया। लेकिन उसी के साथ-साथ उनको जमानती भी बना दिया। तो मैं माननीया मंत्री जी से कहूंगा कि वे जरा इसतरफ ध्यान दें। आपके जो फूड इस्पेक्टर्स बगैरहा हैं, यह अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। अगर करते होते तो अपने देश में एडल्टेशन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता। यह लोग ठीक काम नहीं करते हैं। मान लीजिए भूले भटके इनका हाथ किसी पर पड़ जाए और वह आदमी कानून की गिरफ्त में आ जाए और तुरन्त उसकी जमानत हो जाए तो यह डिटेंट नहीं होगा, और इस तरह के जुर्म दोहराए जाते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस को आप जमानती की बजाए नान बेलेबिल आफेंसेज बनाएं, जिससे कि उसका असर रहेगा और शायद लोग जुर्म की तरफ न बढें। साथ ही अपने विभाग के कर्मचारियों को थोड़ा चौकस करिए जिनकी जिम्मेदारी है कि वे उन चीजों को रोकें जिनको आपने इस बिल में निषिद्ध किया है और जो पाबंदी लगाई है ताकि वे चीजें न हों

पाएँ। इसके साथ उपसर्पति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

4.00 p.m.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, at the outset, I request the hon. lady Minister and the hon. lady Members to pardon me because I am dissociating with them.

Sir, there is a proverb in Telugu which says :

"Rogi panti neppiki hospitalaku pothe, doctoru thunti neppiki mandu ichaadu."

That means, the patient has gone to the hospital for tooth-ache, but the doctor has given treatment for pain in the hip-joint. So, the present Bill is like that.

Sir, as a doctor, with authority I can say that this Bill is quite unnecessary and unwarranted. Why ? It is because the objectives behind this Bill are extremely good, but the drafting of the Bill, the formulation of the Bill is extremely bad. What are the objectives ? The first objective is to encourage breast-feeding, to create awareness among the mothers regarding the benefits, regarding the merits, regarding the advantages of breast-feeding. That is the first objective. What is the second objective ? It is to discourage excessive use of bottle-feeding, to discourage unnecessary use of bottle-feeding. That is the second objective. But the Bill serves neither of these two objectives. This Bill serves only one purpose, that is, the officials will harass the companies and mint money. So, this Bill is meant for that only, but not for the objectives behind it.

Sir, as a doctor, I know the merits of breast-feeding. I can mention ten or 12 points. Sir, the first thing is that the mother's milk is cent per cent pure. So, there is no contamination at all. There is no adulteration at all. So, that is the first advantage. The second advantage is that it is less expensive. The third advantage is that the mother's milk contains some anti-bodies which will pass on to the child which will give resistance power to the child against some diseases. The other advantage is that if we see the surveys,

the intelligence quotient of a child who has taken mother's milk is far higher than the intelligence quotient of a child who has taken bottle milk. So, that is one advantage. Then the other point is that the bond of love between the mother and the child will be enhanced, will be strengthened by breast-feeding. Coming to the mother, as a doctor I know that the incidence of breast cancer is less in those mothers who feed their children by breast. Not only that. This is the best contraceptive because of the harmonical influence. As long as the mother gives breast milk, she will not get pregnant. So, this is the best contraceptive. It gives space between one child and the other. Spacing is there. So for family planning purposes, this is the best method. This is the best method to control population explosion. These are the advantages and merits of breast feeding.

I also know of the disadvantages of bottle feeding. First of all, this is expensive. Secondly, there is contamination. According to the statistics, every year there are one million infant deaths because of diarrhoea due to bottle feeding. But again we have to understand that bottle feeding is not bad but the mode of feeding is bad. What the mother does is, she adds cold water instead of boiled water. She adds contaminated water. Then the nipple of the bottle is contaminated and because of contamination of the bottle and the nipple of the bottle, diarrhoea occurs which is not due to bottle feeding but due to contamination of the bottle and the nipple. At the same time there are exceptions. If the mother is not in a position to feed the child through breast because of some breast disease, if the mother does not get milk, if the milk secretion is not sufficient because of some reasons like harmonical imbalance or malnutrition or under-nutrition, in those cases bottle feeding is a must; it is inevitable, otherwise because of contamination, diarrhoea occurs and so many infants are dying. Because of malnutrition and under-nutrition, millions of infants will die if bottle feeding is not there. When breast feeding is not possible, when milk secretion is not there, the child will suffer from cachexia and the infant may die. So, we have to remember this aspect as well. Breast feeding is definitely good but it

breast milk is not there, then we have to go in for bottle feeding. We have to send that message.

Of course there are some ladies, some mothers who have the misconception that due to breast feeding, they will lose their charm. We have to remove these misconceptions. So we have to educate the mothers first of all regarding merits of breast feeding, and secondly if bottle feeding is inevitable, then they should add boiled water. We have to educate them how to do that. We have to educate them on the type of water to be used, and how to keep the bottle and nipple of the bottle free from contamination. Education of the mothers on this aspect is very important.

Another point is, about forty per cent of the people are living below the poverty line, and because of malnutrition and because of not being able to get calorific diet, most of the mothers are not in a position to secrete sufficient milk for the child. Let the Government spend more money on the mother and child care. Let the Government spend more money on giving nutritious food, calorific diet to the mothers. Let the voluntary organisations and the media like Doordarshan, radio, films, help in spreading awareness among the mothers.

Finally, as I said earlier, the objectives of the Bill are good but the drafting is bad. Therefore, I would request the Government I am not opposing the Bill totally, but I am opposing the drafting of the Bill. Instead of doing good, it would harass the companies. It would not serve the purpose of creating awareness among the mothers. I would, therefore, urge upon the Government to take back the Bill, draft it in clear terms, and come back to this House again. Thank you.

श्री ईश दत्त यादव : (उत्तर प्रदेश) :
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज जो बिल

प्रस्तुत किया गया है और जिस पर इस वक्त चर्चा चल रही है मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूँ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO
JADHAV (Maharashtra) : No partial
opposition like Dr. Thulasi Reddy.

श्री ईश दत्त यादव : : यह बिल अत्यन्त आवश्यक है और इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब 1983 में नेशनल कोड फार द प्रोटेक्शन एण्ड प्रोमोशन आफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात तय हुई, स्वीकार किया गया। अपने देश ने स्वीकार किया उसके तुरन्त बन्द यह कानून बन जाना चाहिए था। 1986 में यह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया था लेकिन लोक सभा में यह बिल पहुँचा तो लोक सभा डिजोल्ड हो गई। उसके बाद दुबारा यह बिल लाया गया फिर लोक सभा डिजोल्ड हो गई। यह सौभाग्य ही है और मैं मानता हूँ कि लोक सभा में यह बिल पिछले सत्र में पास हो गया और इस सत्र में यह बिल यहाँ से भी पास होने जा रहा है।

इस देश में जो बच्चों के मरने की संख्या है यह बहुत चिंताजनक है। अभी पिछले सत्र में लोक सभा में एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने जो आंकड़े दिये मैं उन आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन आपके माध्यम से सदन की जानकारी में यह बात ला देना चाहता हूँ कि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 4 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के मरने का जो रेट है वह सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का लगता है। सन, 1984 से लेकर 88 तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1984 में 64 प्रतिशत, 85 में 54 प्रतिशत, 86 में 54.3 प्रतिशत, 87 में 52.0 प्रतिशत और 88 में 46.7 प्रतिशत है। 1990 के आंकड़े भी मेरे पास हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से उड़ीसा में पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 4 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की मरने की संख्या

उड़ीसा में प्रति हजार 123 है। मध्य प्रदेश में 111 है, असम में 77 है, बिहार में 75 है और गुजरात में 72 है। इस तरह से इन मरने वाले बच्चों की संख्या चिंताजनक है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं लेकिन एक मुख्य कारण यह भी बताया गया है कि छोटे बच्चों को, शिशु को विटामिन-ए और आइरन नहीं मिल पाता इसलिए मृत्यु हो जाती है। विटामिन-ए और आइरन जो माता के दूध में मिलता है वह दुनिया के किसी भी प्रकार के दूध में या किसी बनावटी दूध में या किसी डिब्बे के दूध में नहीं मिलता। इसी कारण बच्चे मर जाते हैं। बम्बई में एक सर्वे कराया गया कुछ साल पहले। उससे पता लगा कि मृत्यु का कारण यह भी है कि बच्चों को आइरन नहीं मिल पाता, विटामिन-ए नहीं मिल पाता। मैं केवल बम्बई शहर की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

लेकिन उन आंकड़ों में यह आया है कि मुम्बई शहर की 80 प्रतिशत मातायें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलातीं और ये मातायें वे हैं जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं, जो आधुनिक हैं, जो अल्ट्रा-मॉडर्न हैं। ऐसी मातायें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलातीं। 60 प्रतिशत ऐसी मातायें हैं जो नौकरियों में रहती हैं। बच्चा पैदा हो गया, एक महीने, दो महीने बाद नौकरी पर जाना है, उनकी मजदूरी है, वे दूध नहीं पिलती हैं। केवल 10 प्रतिशत मातायें ऐसी हैं जो मजदूरी का काम करती हैं और जिनकी विवशता होती है, वे दूध नहीं पिलाती हैं। दुबारा आप घंटी बजाएँ उसके पहले ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, माँ का दूध और गाय का दूध ये दो ही दूध बच्चों के लिये उपयोगी होते हैं और डिब्बे का दूध उपयोगी नहीं होता। इसके लिये सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है, इसलिये मैं सरकार की सरहना करता हूँ। मान्यवर, अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े

कवि हुए हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि :

“डिम्पल में क्या बू आयेंगी,
माँ बाप के अतवार की,
दूध डिब्बे का पिया,
तालीम है सरकार की।”

श्रीमती सुयमा स्वराज : : मैं इसको पढ़ चुकी हूँ।

श्री ईशदत्त यादव : : मैं था नहीं।

मान्यवर, इस डिब्बे वाले दूध से बच्चे के अंदर मालन्यूट्रिसन हो सकता है, बच्चा नहीं बढ़ सकता, उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता और न कुछ हो सकता है। आधुनिक मातायें जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं, वे दूध पिलाने से कतराती हैं कि उनका सौंदर्य नष्ट हो जायगा। लेकिन मान्यवर मैं अपनी बात समाप्त करते हुए—पता नहीं हो सकता है कि किसीने इसको भी कहा हो कि—राष्ट्र कवि दिनकर जी ने उर्वशी पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है ..

श्री जगदश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : कह दिया।

श्री ईशदत्त यादव : : हो गया।

श्री जगदश प्रसाद माथुर : : हाँ।

श्री ईशदत्त यादव : : ठीक है, मान्यवर, मैं उसको छोड़ देता हूँ।

श्री जगदश प्रसाद माथुर : : एक अच्छी बात बार-बार कही जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री ईशदत्त यादव : अगर यह कहा गया तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उर्वशी का प्रेम हो गया पुरुष से, तो अन्तराओं ने कहा कि आपकी शर्मा हो रहा है, प्रेम हो गया, अब तो सौन्दर्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने इसका उत्तर यह दिया कि यह बड़े सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए सौभाग्य की बात है तथा किसी भी महिला के लिये यह सौभाग्य की बात है कि उसका किसी

[श्री ईश दत्त यादव]

से प्रेम हो जाय, किसी से विवाह हो जाय और उससे सौभाग्य की बात है कि उसका बच्चा पैदा हो जाय ताकि उसको उसे दूध पिलाना पड़े। माता के लिये अपना दूध पिलाने से बढ़कर और कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। (सभ्य की घड़ी)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का जोरदार ढंग से समर्थन करता हूँ और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि कानून तो यह बन आयेगा, कानून तो बने हुए हैं, नकली दवाओं को रोकने के लिये भी कानून बना है, तमाम कानून बने हैं लेकिन सरकार उन कानूनों का पालन नहीं करा पाती। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कानून के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश देकर या स्वयं केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस कानून का कड़ाई से पालन करायें ताकि इस देश के, भारत के भावी जो कर्णधार हैं, बच्चे जो हैं, उनका सही ढंग से लालन-पालन हो सके, माताओं का दूध पी सकें और इस गौरवशाली देश के महापुरुष बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुनः समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

मौलाना अबुलकलाम खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : मिस्टर वाइसचेयरमैन, सर...

एक माननीय सदस्य : शेर ज़रूर पढ़िये।

मौलाना अबुलकलाम खान आजमी : ज़रूर पढ़ेंगे। सर, बच्चों और मां की सेहतो-हिफाजत के लिए दूध से मुत्तालिक यह जो बिल आया है, इस बिल की हिमायत करते हुए मां के आंचल के सुकून के तिलसिले में मेरे कुछ साथियों ने कहा है कि शेर को पढ़ कर इस बात को कहिए। बैठे बैठे ही एक शेर हो गया है। आप सुन लें।

ए मां तेरे आंचल का सुकून क्या है बता दे, आगोश तेरी मौत भी आसान बना दे।

कई माननीय सदस्य : वाह वाह।

मौलाना अबुलकलाम खान आजमी : यां

की गोद बच्चे के लिए मौत भी आसान बना देती है। मां दुनियां में उस मुकाम की मालिक होती है जिसकी जात से कोई स्वार्थ और कोई जाती गरज अपनी औलाद के लिए कभी नहीं जुड़ी रहती। दुनियां में जितने भी रिलेशन, जितने भी रिश्ते हैं, वह सब एक दूसरे से किसी न किसी मोड़ पर बदले की खाहिश छिपे या छपे तौर पर रखते हैं, लेकिन मां की ममता का बाहिर जज्बा है जो हर मोड़ पर बच्चे से बेपनाह तकलीफ पाने के बाद भी अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। अपने बच्चे की दरखशदा मुस्तकबिल की तमन्ना करती है।

आज जो यह बिल आया है बच्चों के हिफाजत के लिए उस पर काफी डिबेट हो चुकी है कि मां के दूध और बोतल के दूध में क्या फर्क है। इस फर्क को बताने के लिए ही नहीं बल्कि मां की ममता जो पाउडर का दूध पिलाने वालों ने मां के दिलोदिमाग से छीन ली है, उसकी तरफ मां का ध्यान दिलाना जरूरी है। मां जो अपने खूने बिगड़ के जरिए अपने बच्चे को पालती पोसती है, मां जो 9 महीने तक बेपनाह मुसीबतें अपने पेट में अपने बच्चे को रख कर उठाती है, मां जो अपने बच्चे के लिए रात का चैन, दिन का सुकून हराम कर देती है, उस मां को अगर यह बात समझा दी जाए कि तेरे दूध के जरिए तेरा बच्चा कल का वीर बनने वाला है, कल का हिन्दुस्तान बनने वाला है, कल देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला है, कल इस मुल्क के खूबसूरत इतिहास में चार चांद लगाने वाला है तो मेरा बराल है कि बात बन सकती है। जहां हम पाउडर के दूध की निन्दा करते हुए मां के दूध पर जोर दे रहे हैं वहां मां के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलारा जाना चाहिए। मां के लिए हकूमत की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए कि जिस स्तर की मां हो, पढ़ी लिखी मां हो, जमीन मां हो, आफिस में काम करने वाली मां हो या ब्यापार

हाउस में जिन्दगी गुजारने वाली मां हो, उसके दिलोदिमाग को जो बात अवील कर सकती हो वह बात गर्नमेंट की तरफ से उस मां तक, उस परिवार तक पहुंचनी चाहिए कि बच्चे को मां का दूध पिलाने के बाद बच्चे की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी हिफाजत के लिए कुदरत का रूप मां कहलाती है। खुदा की तस्वीर दुनिया में अगर देखने को मिल सकती है तो मां के रूप में देखने को मिल सकती है और मां जो बच्चे की परवरिश करती है वह खुदा की परवरिश का साया है, जो दुनिया में इस्लाम की शकल में दिखलाई देता है। कुदरत ने बच्चे को इस दुनिया में पैदा करने के बाद उसकी हिफाजत इस तरह से की है कि मौसम उस बच्चे की हिफाजत करता है, पड़ीसी भी उस बच्चे की हिफाजत करते हैं, मां-बाप, सब के सब उस बच्चे की हिफाजत करते हैं। मगर उस बच्चे की हिफाजत और उसके शरीर के अन्दर तंदुरुस्ती की अलामत जो चीज बन सकता है वह मां का दूध ही बन सकता है। मां के दूध को बच्चों के दिलोदिमाग से इस तरह से दूर कर दिया गया है कि जब माएं बजातेखुद बच्चे के लिए दूध गैर-वाज्जरी चीज समझ गई है जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे की मोहब्बत अपनी तन-आसानी के लिए कुर्बान कर दी है। माओं पर भरपूर जोर इस बात का दिया जाना चाहिए कि वह अपने बच्चों की जिन्दगी और सेहत की जरूरतों को समझें बरना यह पाउडर का दूध जिसको पीने के बाद बच्चों के दिलोदिमाग से उनसीयत मोहब्बत और प्यार की धारणाएं भी खत्म हो जाती है और आगे चल कर के बच्चे मां की गोद में ढाई-तीन साल की परवरिश नहीं पाते उस परवरिश से दूर होने के बाद मां के दूध से दूर होने के बाद उस बच्चे के अन्दर न वह सेहत रह पाती है और न जिन्दगी रह पाती है जिस जिन्दगी का ख्वाहिश के साथ मां-बाप अपने उस बच्चे को जन्म देते हैं।

[उपसमाध्यक्ष (श्री सैयद सितते रज़ी)
पीठासीन हुए]

मैं हुक्मत से इस बिल के जरिए यह दर-ख्वास्त करूंगा कि टी० वी० पर मां के दूध की क्षमताएं क्या हैं, मां के दूध के लाभ और फायदे क्या हैं इनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए और यह नकली पाउडर जिसके जरिए बच्चे की सेहत पर सबालिया निशान लग जाता है उससे बचाने के लिए मांओं को तरबियत दिलानी चाहिए और अगर मां गरीब है तो उसकी भी एक संख्या और तादाद बताई जाना चाहिए जिसके जरिये उन गरीब औरतों के पालन, पोषण व खुराक का इंतजाम हुक्मत की तरफ से हो सके जिससे सही मातों में बच्चों को फायदा मिल सके। शुक्रिया।

مولانا عبید اللہ خان افسر
آئی آر ڈی اے: میسٹر ڈاکٹر اختر عثمان
ایک ماننیہ سہ سیمہ شہر میں رہتا ہے
مولانا عبید اللہ خان افسر
بڑے محفل گاہ: سر۔ بچوں اور ماں کے محفل
محفل کے لئے دوسرے کے متعلق یہ
جوبل آیا ہے۔ اس بل کی حمایت کرتے
ہوئے ماں کے اچھل کے سکول کے
سلسلے میں میرے کچھ ساتھیوں نے کہا
ہے کہ کسی شہر کو پڑھ کر اس بات کو کہ
بیٹے بیٹے ہی ایک شہر ہو گئے ہوتے آپ
سے نہیں۔

میں نے تیرے اچھل کا مکان کیا ہے جاؤں
آغوش تیری موت کو آسان بنائے

کئی مائیں مسدود رہیں : وہ - مان -
 دلا نا عجیب الگ ننان اعلیٰ : مان
 کی گود بچے کے لئے مورت ہی آسمان بنا
 دیتی ہے ماں دنیا میں اس مقام کی
 مالک ہوتی ہے جس کی ذات سے کوئی
 سوار تھو اور کوئی ذاتی غرض اپنی اولاد
 کے لئے کبھی نہیں بڑھتی رہتی : دنیا میں
 جتنے بھی ریشٹنس جتنے بھی رشتے ہیں
 وہ سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی
 موڑ پر بدلے کی خواہش پیچھے یا پیچھے
 طور پر رکھتے ہیں لیکن ماں کی ممتا
 کا واحد جذبہ ہے جو ہر موڑ پر بچے سے
 بے پناہ تکلیف پانے کے بعد بھی اپنے
 بچے کے آجول بھوشنے کی کامنا کرتا ہے
 اپنے بچے کے درخشاں مستقبل کی تمنا کی
 کامنا کرتی ہے۔
 آج جو یہ بل آیا ہے بچوں کی
 حفاظت کے لئے اس پر کافی ڈھیٹ ہو
 چکا ہے کہ ماں کے دودھ اور بوتل
 کے دودھ میں کیا فرق ہے اس فرق
 کو بتانے کے لئے ہی نہیں بلکہ ماں کی
 ممتا جو پاؤڈر کا دودھ بنانے والوں
 نے ماں کے دل و دماغ سے چھین
 لی ہے اس کی طرف ماں کا دھیان
 دلانا ضروری ہے۔ ماں جو اپنے خون و جگر

کے ذریعہ اپنے بچے کو کافی پر دے رہی
 ماں جو بے پناہ مصیبتیں و مہینے تک
 اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھ کر اٹھاتی
 ہے۔ ماں جو اپنے بچے کے لئے رات کا
 چین دن کا سکون محروم کر دیتی ہے اس
 ماں کو اگر یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ
 دودھ کے ذریعہ تیرا بچہ کل کا ویر بنے
 والا ہے کل کا ہنر و ستاری بننے والا ہے
 کل دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرنے
 والا ہے کل اس ملک کے خوب صورت
 اتہاس میں چار چاند لگانے والا ہے تو
 میرا خیال ہے کہ جہاں ہم پاؤڈر کے دودھ
 کی بند کر تے ہوئے ماں کے دودھ
 پر زور دے رہے ہیں وہاں ماں کیلئے
 بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اہدیان
 چلایا جانا چاہیئے۔ ماں کے لئے حکومت
 کی طرف سے ایسا قدم اٹھایا جانا چاہیئے
 کہ جس استر کی ماں ہو۔ پڑھی لکھی ماں
 ہو۔ جاہل ماں ہو۔ آفس میں کام کرنے
 والی ماں ہو یا واسٹ لائوس میں کام کرنے
 والی ماں ہو اس کے دل و دماغ کو
 جو بات اپیل کر سکتی ہو وہ بات گورنمنٹ
 کی طرف سے اس ماں تک اس پر یوار
 تک پہنچی چاہیئے کہ بچے کو ماں کا دودھ
 پلانے کے بعد بچے کی حفاظت کس طرح

ہے۔ اس کی جانتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔
دنیا میں آتا ہے تو اس کی حفاظت
کے لئے قدرت کا روپ ماں کہلاتی ہے
خدا کی تصویر اگر دنیا میں دیکھنے کو مل
سکتی ہے تو ماں کے روپ میں دیکھنے
کو مل سکتی ہے اور ماں جو بچے کی
پرورش کرتی ہے وہ خدا کی پرورش کا
سایہ ہے شکل جو ہے دنیا میں انسان
کی شکل میں دکھلاتی دیتی ہے قدرت
نے بچے کو اس دنیا میں پیدا کرنے
کے بعد اس کی حفاظت اس طرح سے
کی ہے کہ موسم اس بچہ کی حفاظت کرتا
ہے۔ پڑوسی بھی اس بچے کی حفاظت کرتے
ہیں۔ ماں باپ سب کے سب اس بچے
کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اس بچے کی
حفاظت اور اس کے شریک کے اندر زندگی
کی علامت جو چیز بن سکتی ہے وہ ماں
کا دودھ بن سکتا ہے۔ ماں کے دودھ
کو بچوں کے دل و دماغ سے اس طرح
دور کر دیا گیا ہے اب مائیں بذات خود
بچے کے لئے دودھ غیر ضروری چیز سمجھ
گئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے
بچے کی محبت، اپنی تن آسانی کیلئے قربان
کر دی ہے۔ مائیں پر بھرپور زور اس
بات کا دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں

کی زندگی اور صحت کی ضرورتوں کو سمجھیں۔
ورنہ یہ پاؤڈر کا دودھ جس کو پینے کے
بعد بچوں کے دل و دماغ سے انسیت
محبت اور پیار کی دھار نایتیں بھی ختم ہو
جاتی ہیں اور آگے چل کر کے بچے ماں کی
گود میں ڈھائی تین سال کی پرورش نہیں
پاتے۔ اس پر یو آر سے دور ہونے کے
بعد ماں کے دودھ سے دور ہونے کے
بعد اس بچے کے اندر نہ وہ صحت رہ
پاتی ہے اور نہ زندگی رہ پاتی ہے جس
زندگی کی خواہش کے ساتھ ماں باپ
اپنے اس بچے کو جہنم دیتے ہیں۔
اوپر سبھا دھیکشن شری سید سبط
رضی پیٹھاسین ہوئے۔

میں حکومت سے اس بل کے
ذریعہ درخواست کروں گا کہ ٹی۔ وی پر
ماں کے دودھ کی اکثمتائیں کیا ہیں۔
ماں کے دودھ کے لایہ اور فائدہ کیا
ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ پرچار کرنا
چاہیے اور نہ نقلی پاؤڈر جس کے ذریعہ
بچے کی صحت پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے
اس سے بچانے کے لئے مائیں کو ترغیب
دلانی چاہیے اور اگر ماں غریب ہے تو
اس کی بھی ایک سہولت اور تعداد بنانی
چاہیے جس کے ذریعہ ان غریب عورتوں

کے ہاں پرورش کا خوراک کا انتظام حکومت
کی طرف سے ہر بچے کے لیے صحیح معنوں
میں بچے کو فائدہ پہنچ سکے۔
منتم شد

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED
SIBTEY RAZI) :** Madam Minister,

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : A maiden reply on a Bill.

KUMARI SELJA : Thank you, hon. Vice-Chairman, Sir.

May I take this opportunity to extend my heartiest thanks to the hon. Members of this August House for the keen interest exhibited throughout the discussion on the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Bill, 1992. It has been very satisfying to observe the concern of the hon. Members for protection and promotion of breast-feeding in India. I have noted the suggestions made by Smt. Sushma Swaraj, Smt. Jayanthi Natarajan, Smt. Sarala Maheshwari, Shri Shiv Pratap Mishra, Smt. Mira Das, Dr. Jichkar, Shri Jaiswal, Dr. Reddy, Shri Yadav and Shri Azmi.

The Members have propagated advantages breast-feeding. The properties of mother's milk, protecting infants against diseases, the effect of breast feeding on diseases, the effect of breast feeding on the mother are well recognised. Efforts are being made to propagate breast-feeding, and its advantages for the mother and the child.

A few points were raised by some Members. I would like to dwell on just a few points here.

Smt. Sushma Swaraj raised the point about creches. I would like to inform her that there are about 12,000 creches which are providing child care to children up to six years of age, of working and ailing mothers.

Also the Department of Family Welfare and Health has shown many spots on TV on breast-feeding. We are also promoting that.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने यह जो 12 हजार की संख्या बताई है, क्रेचेज हैं, मैंने पहले भी कहा। मेरा जो सुझाव था वह यह था कि कार्यालयों के साथ लगे हुए क्रेचेज हों ताकि नवजात शिशुओं को दूध पिलाया जा सके। ये जो क्रेचेज हैं ये दूर हैं। इन में तो महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर दफ्तर में आती हैं क्योंकि यह बिल स्तन पान के संवर्धन के लिए हैं तो मेरा सुझाव यह था कि कार्यालयों के साथ लगे हुए ऐसे क्रेचेज हों जहां वे तीन घंटे के बाद, चार घंटे के बाद आकर दूध पिलाकर वापस जा सकें। मैंने उन क्रेचेज की बात की थी। इनकी बात नहीं की थी। मझे मालूम है कि ऐसे क्रेचेज चल रहे हैं।

KUMARI SELJA : I would like to inform the hon. Member that we shall definitely consider this.

I would like to inform the House that weaning foods are covered under the scope of this Bill. In fact... (*Interruptions*).

**THE MINISTER OF STATE OF THE
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(SHRI JAGDISH TYTLER) :** Please listen to her. It is the first, maiden Bill of hers.

KUMARI SELJA : Infant food in its definition covers weaning foods which are marketed as complements to mother's milk to meet the growing needs of the infant after the age of four months.

Also posters on breast-feeding have been printed. We shall get some more printed and distribute them in child-care centres.

One particular point was raised by Dr. Jichkar. I would like to inform him that clause 7 of the Bill intends to provide that only educational and other materials which are intended to reach pregnant women or mothers should include clear information as provided in items (a) to (g).

Provision of the Bill relating to the infant milk substitutes, feeding bottles seeks to regulate production, supply and distribution and will not be attracted in case of research papers, articles and books on the subject.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : This is not mentioned in the Bill.

KUMARI SELJA : The provision is similar to the one in the International Code in Article 4.2.

DR. SHRIKANT RAMACHANDRA JICHKAR : But the Bill does not contain that.

KUMARI SELJA : May I reiterate and inform this August House that the present Bill has been drafted with extreme care after considering the suggestions of all concerned quarters. The exercise indeed has been a long one since the formulation of international Code in 1981 and Indian National Code for Protection and Promotion of Breast Feeding in 1983.

Recognising that 'breast-feeding is the best' and that deceptive marketing strategies run counter to the health of mother and child, various provisions have been incorporated in the Bill for regulation of production, supply and distribution of these products. Prohibition of advertisements of infant milk substitutes and feeding bottles, standardisation of milk products and deterrent provisions for defaulters are important provisions of this Bill. Donation of infant milk substitutes and feeding bottles is prohibited except to orphanages. A very important step in the Bill relates to the involvement of voluntary organisations in the implementation of the Act. According to Clause 21, authorised voluntary organisations are empowered to make complaint before the Court and such cases will be conducted by the State Prosecuting Agencies once the Court takes cognisance.

While thanking the hon. Members for their keen interest and support for the Bill, I would once again request the hon. Members to pass the Bill in its present form and contribute to the future of the children in India.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : The question is :

"That the Bill to provide for the regulation of production, supply and distribution of infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods with a view to the protection and promotion of

breast-feeding and ensuring the proper use of infant foods and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Now we take up Clause 6 of the Bill. There is one amendment by Shrimati Sarala Maheshwari. Are you moving it?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यद्यपि मंत्री महोदय ने यह प्रार्थना की है कि बिल को उसके मूल प्रारूप के रूप में (व्यवधान)

Yes. I will also speak, because I have not spoken on it.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : O.K. Carry on. (*Interruptions*)

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI : Why are you in so much hurry?

उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने निस्संदेह एक अपील की है और जहाँ तक मंत्री महोदय का सवाल है, उनका चेहरा देख कर भी इच्छा होती है कि उनसे जबरन लड़ाई न की जाए। लेकिन उप सभाध्यक्ष जी (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लड़ाई जबरन नहीं, आप करना चाहती हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्योंकि इस विधेयक का जो उद्देश्य है, वह स्तनपान का संवर्धन और उसका समर्थन और मैं इसी उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संशोधन लाई है, ताकि इस विधेयक को हम और अधिक (व्यवधान) पुष्ट रूप से रख सकें।

CLAUSE 6 : INFORMATION OF CONTAINERS AND LABELS OF INFANT MILK SUBSTITUTES OR INFANT FOODS

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि —

“पृष्ठ 3 पर पंक्ति 22-23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(क) बड़े अक्षरों में यह कथन कि —

(i) मां का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है,

(ii) मां का दूध आपके बच्चे को अनेक रोगों से बचाता है,

(iii) मां के दूध पर पलने वाला बच्चा मानसिक रूप से अधिक पुष्ट होता है,

(iv) स्तनपान स्वयं मां के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।”

The question was proposed.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : जी, जहाँ पर “शिशु दुग्ध अनुकूल, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1992 की धारा 6 है, उस धारा 6 (क) में जहाँ पर लेखकों का जिक्र है — कि दूध के डिब्बे हों या दूध की बोतलें हों, जो भी हों, उन पर जो निर्देश छापे जायेंगे, उसमें सिर्फ यह जो मूल विधेयक है, उसमें सिर्फ एक पंक्ति कही गई है कि मां का दूध ही सर्वोत्तम है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह कहा था कि हमारी माताओं के इस मनो-विज्ञान का फायदा उठाकर ही हमारी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारी माताओं और बच्चों के साथ बहुत विनोद खेल खेला था।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : I think it is sufficient. You have already moved it. You have already spoken on this Bill.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI : I have to move my amendment.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : When I asked

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI : The point is...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : You take only one minute.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI : I have not explained all the points which this Bill has not covered.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो जोड़ना चाहती हूँ, इस संशोधन के जरिए वह यह है कि धारा 6 (क) में जहाँ पर सिर्फ यह कहा गया है कि मां का दूध ही सर्वोत्तम है, उसके साथ मैं यह चाहती हूँ कि यह भी लिखा जाये कि “मां का दूध आपके बच्चे को अनेक बिमारियों से बचाता है, मां के दूध पर पलने वाला बच्चा मानसिक रूप से अधिक पुष्ट होता है, स्तनपान कराना स्वयं मां के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।”

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूँ कि माननीया मंत्री महोदयों यदि हमारे इस विधेयक की जरूरत को समझते हुए कि हमें स्तनपान को बढ़ावा देना है, हमें हमारी माताओं को शिक्षित करना है तो हमारी इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए वे अगर इस संशोधन को स्वीकार करें तो मैं भी उनसे यह अपील करना चाहती हूँ कि आप नई होने के नाते नई परिभाषी डालिए ताकि यह संशोधन स्वीकृत हो जाये।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Now, I shall put Shrimati Sarala Maheshwari's amendment to vote. The question is :

“That at page 3 for lines 19 and 20 the following be substituted, namely :—

(a) a statement in capital letters stating that,—

(i) mother's milk is best for your baby;

(ii) mother's milk protects your baby from a number of diseases;

(iii) a baby reared on mother's milk is more sound mentally;

- (iv) breast-feeding is beneficial to the mother's own health also."

The motion was negatived.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Now I shall put clause 6 to vote.

The question is :

"That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 26 were added to the Bill.

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

KUMARI SELJA : I move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS BILL, 1992

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : We shall now take up Statutory Resolution and the Bill together. Dr. Jinendra Kumar Jain and Shri Kamal Morarka—absent. Shri Jagdish Tytler.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : Mr Vice-Chairman, Sir, I move :

"That the Bill to provide for the regulation of the multimodal transportation of goods, from any place in India to a place outside India, on the basis of a multimodal transport contract and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration,"

With your permission, I would like to say a few words while moving the Multimodal Transportation of Goods Bill, 1992 for consideration and passing. The Bill seeks to replace the Multimodal Transportation of Goods Ordinance, 1992 (18 of 1992) promulgated by the President on the 16th October, 1992.

In developed countries, containerisation has resulted in multimodal transport of goods, under a single transport document, covering all modes of transport from the exporters' premises to the consignee's place.

Such multimodal transportation of goods under one single document has a number of advantages like reduction in the overall transportation cost, reduction in delays, smoother and quicker movement of cargo and improvement in the quality of service. In the context of growth of containerised trade in India, the need for introduction of a similar system in India has been felt. The Multimodal Transportation of Goods requires a legal regime to govern on a uniform basis the liabilities and responsibilities of a Multimodal Transport Operator, who can provide services to the shippers engaged in international trade. The Government of India had, therefore, set up a Working Group to recommend a law on Multimodal Transportation of Goods. This Group formulated proposals for the said legislation mostly based on the internationally accepted rules of the International Chamber of Commerce (ICC). The Working Group had also recommended suitable amendments to the Indian Carriage of Goods by Sea Act, 1925, Sale of Goods Act, 1930 and the Carriers Act, 1865. These amendments are necessary to bring the provisions of these Acts in harmony with the proposed provisions of the Multimodal Transportation of Goods Legislation. In the context of various measures taken by the Government of India to liberalise controls, simplify procedures and facilitate smooth flow of international trade and promotion of exports, it became necessary to immediately regulate Multimodal Transportation of Goods by issue of an Ordinance. This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Sukomal Sen. (*Interruptions*).

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to say that this Bill has been very hurriedly placed in Parliament because it involves many agencies if you want to introduce a new system of transportation in the country as far as container transportation system is concerned. It is true that containerisation is increasing day by day. Particularly, in developed countries, it is